न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर–राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 16 / 2024

उनवान

1. गंगाराम पुत्र रामेश्वर
2. छगन पुत्र रामेश्वर
3. प्रभुदयाल पुत्र रामेश्वर
4. प्रेम देवी पुत्री रामेश्वर
5. नारंगी देवी पुत्री रामेश्वर

समस्त वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी ढाणी प्रधानों की, भानीपुरा, ग्राम पंचायत देवीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रार्थी / आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कार्यालय तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. कृष्ण पुत्र हनुमान
3. मुकेश पुत्र हनुमान
4. महेन्द्र पुत्र हनुमान
5. विष्णु पुत्र हनुमान
6. सुभाष पुत्र हनुमान

समस्त वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी ढाणी प्रधानों की, भानीपुरा, ग्राम पंचायत देवीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

7. मैनेजर, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा चिमनपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थीगण

8. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
9. सुरेश कुमार पुत्र मदनलाल
10. कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल
11. नरेश कुमार पुत्र मदनलाल
12. महेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल
13. महेश कुमार पुत्र मदनलाल

समस्त वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी ढाणी प्रधानों की, भानीपुरा, ग्राम पंचायत देवीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

14. माली देवी पुत्री स्व0 श्री मदन लाल पत्नी राधेश्याम, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी ढाणी प्रधानों की, भानीपुरा, हाल निवासी आंतेला, तहसील विराटनगर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

प्रार्थना पत्र बाबत् नवीन रास्ता चाहने हेतु अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांक :– 24/5/26

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि : प्रार्थी / आवेदक की ओर से प्रारुप में आवेदन निम्न प्रकार पेश है:–यह कि मैं / हम प्रार्थीगण, तरतीवी अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की जोत में नया रास्ता / मार्ग खोलने का आशय रखता हूँ / रखते हैं और इसलिए मैं / हम अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 251 (क) की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।

(क) आवेदक (आवेदको) का नाम, माता–पिता का नाम, आय :– प्रार्थना पत्र के शीर्षक में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के रूप में अंकित नाम गंगाराम वगैरह तथा तरतीवी अप्रार्थीगण ।

(क) आवेदक (आवेदकों) का पूरा पता:– निवासी ढाणी प्रधानों की, भानीपुरा, ग्राम पंचायत देवीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

जोत की विशिष्टियां जिसके लिए आवेदन किया गया है :–

(क) उपखण्ड का नाम, ग्राम सहित जिसमें जोत स्थित है:– उपखण्ड शाहपुरा, ग्राम भानीपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील शाहपुरा ।

(ख) एकड़ बीघा में क्षेत्रफल खसरा सहितः खसरा नम्बर 247 रकबा 0.36, 251 रकबा 0.11, 255 रकबा 0.09, 258 रकबा 0.08, 271 रकबा 0.03, 272 रकबा 0.06, 278 रकबा 0.17, 280 रकबा 0.36, कुल किता 8, कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर

5. अन्य खातेदार (खातेदारों) की जोत की विशिष्टियां जिनमें से नया मार्ग खोलने / खुलवाने का आशय रखते हैं / रखता है :–

(क) नाम, माता–पिता, आयु प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के रूप में अंकित नाम कृष्ण वगैरह।

(ख) पूरा पता मुकाम पोस्ट ग्राम निवासी ढाणी प्रधानों की, भानीपुरा, ग्राम पंचायत देवीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

(ग) उपखण्ड के नाम सहित ग्राम का नाम जिसमें धृति स्थित है:– उपखण्ड शाहपुरा, ग्राम भानीपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील शाहपुरा।

(घ) एकड़ / बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा नम्बर आबादी भूमि खसरा नम्बर 265 ढाणी प्रधानों से सह–खातेदारी आराजी में खसरा नम्बर 274 में स्थित रास्ता से खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

275 रकबा 0.45 है0 में से पश्चिमी व दक्षिणी डौल के सहारे सहारे प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272 में पहुंच के लिए चार मीटर चौड़ा व 25 मीटर लम्बाई के रास्ते की आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण प्रस्तावित नया रास्ता की भूमि के आदेशानुसार डीएलसी दर के हिसाब से अप्रार्थीगण को रूपये/ मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए तत्पर है।

नोट– यह कि उक्त प्रस्तावित रास्ता जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है।

नक्शा प्रार्थना पत्र/आवेदन के साथ संलग्न हैं एवं अप्रार्थीगण जिनकी भूमि में से नया मार्ग चाहा गया है कि भूमि की जमाबन्दी एवं नक्शा भी आवेदन के साथ संलग्न है।

यहकि आराजी खसरा नम्बर 275 के खातेदारान अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 7 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा चिमनपुरा के यहाँ ऋण प्राप्त कर रहन कर रखा है। इस कारण राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा चिमनपुरा को जरिये मैनेजर अप्रार्थी संख्या 7 के रूप में आवेदन में पक्षकार बनाया गया है तथा आराजी खसरा नम्बर 272 के सह–खातेदार छोटी देवी पत्नी रामेश्वर की मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रार्थीगण वारिसान है तथा उनकी चल–अचल सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की है तथा सह–खातेदार विनोदी पत्नी स्व0 श्री मदनलाल की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके तरतीवी अप्रार्थीगण वारिसान है तथा उसकी चल–अचल सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम भानीपुरा, पटवार हल्का देवीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में बतरफ पश्चिमी व दक्षिणी डौल के सहारे सहारे चार मीटर चौड़ाई व 25 – मीटर लम्बाई में नया रास्ता का आदेश पारित कर तहसीलदार, शाहपुरा से उक्त नये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाया जावे तथा तहसीलदार, शाहपुरा को उक्त नये मार्ग चालू करवाये जाने का भी आदेश अनी नारंगी फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। शेष अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाई गई, बाद तामील उपस्थित नहीं शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहें। प्रकरण प्रार्थना–पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि तथा अप्रार्थीगण के द्वारा पेश जवाब प्रार्थना–पत्र 251 क एवं

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

जवाब मौका रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि को शामिल करते हुए मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत् तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/रीडर/2025/1324 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने प्रार्थना–पत्र की ताईद की एवं प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण संख्या 4, 5 एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 14 के नाम किसी भी जोत की कोई खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है एवं ना ही प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का किसी भी जोत पर कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा हाल खसरा नंबर 265, 274 के रकबे का कोई अंकन नहीं किया है एवं न ही यह अंकन किया है कि हाल खसरा नंबर 265, 274 की खातेदारी किसके नाम है न उनको पक्षकार ही बनाया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हाल खसरा नंबर 274 रकबा 0.0300 है0 गैर मुमकिन चाह दर्ज है जो बंशी पुत्र बोदया हिस्सा 1/8, बींजा पुत्र दूल्हा हिस्सा 1/8, महादेव पुत्र पीथा हिस्सा 1/8, रूडाराम पुत्र लादू हिस्सा 3/8, स्योना पुत्र रामरतन हिस्सा 1/8, हुक्मा पुत्र रामू हिस्सा 1/8 दर्ज है व हाल खसरा नंबर 265 रकबा 0.7000 है0 ग्राम पंचायत देवीपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिन्हें प्रकरण हाजा मे पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए भी प्रार्थीगण का यह आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि हाल खसरा नंबर 272 के पश्चिम में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 13 व विनोदी पत्नी मदनलाल छोटी देवी पत्नी रामेश्वर की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 271 रकबा 0.03 है0 स्थित है व उक्त हाल खसरा नंबर 271 के उत्तर में हाल खसरा नंबर 265 रकबा 0.7000 है0 स्थित है जिसकी खातेदारी ग्राम पंचायत देवीपुरा के नाम स्थित है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण आबादी भूमि से हाल खसरा नंबर 271 से होते हुए ही अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 272 में आते जाते है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को नाजायज हैरान व परेशान करने व उनकी खातेदारी भूमि हडप करने की बदनियती से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि तहसीदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट जाहिर किया है कि आराजी खसरा नंबर 275 में कोई रास्ता नहीं है, निर्माण है व दीवार बनी हुई है इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वकील उभपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर आबादी भूमि खसरा नम्बर 265 कागी प्रधानी से सह–खातेदारी आराजी मे खसरा नम्बर 274 में स्थित रास्ता से खसरा नम्बर 275 रकबा 0.45 हे0 में से पश्चिमी व दक्षिण डौल के सहारे सहारे प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272 मे पहुंच के लिए चार मीटर चौड़ा व 25 मीटर लम्बाई के रास्ते हेतु आवेदन किया गया है जबकि वकील प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नंबर 265, 274 के संबंध मे यह जाहिर नही किया है कि उक्त आराजी खसरा नंबर की खातेदारी किसके नाम है। साथ ही आराजी खसरा नंबर 265, 274 के खातेदारान् को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नंबर 275 के चारदीवारी हो रखी है एवं पक्का निर्माण है तथा प्रार्थी का खसरा नंबर 272 व 271 (खातेदारी) भूमि आबादी भूमि से लगवा है। आबादी भूमि (खाली पड़ी) में से एक वैकल्पिक रास्ता हो सकता है, जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में अप्रार्थीगण के आराजी खसरा नंबर 275 के चारदीवारी होना व पुख्ता निर्माण होना जाहिर किया है। इससे यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 275 में से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप आराजी खसरा नंबर 274 व 265 के खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाये से अथवा पक्षकारान् के अभाव के कारण एवं आराजी खसरा नंबर 275 के चारदीवारी व पुख्ता निर्माण होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 पोषणीय नहीं होने से न्यायिक दृष्टि से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(संजीव कुमार [illegible] आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)